भारतीय समाज के ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण

डॉ. संजय कुमार
व्याख्याता, राजकीय लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चूरू

shodhshree@gmail.com

शोध सारांश

एक ऐसा समुदाय जो निश्चित संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, गाँव कहलाता है। इस प्रकार ''ग्रामीण विकास यह व्यूह रचना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके गाँवों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ग्रामीण विकास एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय स्तर को उच्च कर जीवन स्तर में सुधार करना तथा उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक व्यवहार में मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबके के कम आय वाले लोगों की आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि करके उनकी जीवन प्रक्रिया को आत्मपोषक बनाने की विधि को ही ग्रामीण विकास कहते हैं।

संकेताक्षर: व्यूह रचना, मानवीय एवं भौतिक संसाधन, अन्तर्विषयात्मक, आत्मपोषक।

भारत के लगभग 6 लाख गाँवों में 65 प्रतिशत आबादी निवास करती है। इसीलिए यह माना गया है कि ग्रामीण समस्याओं का हल किया जाये तथा ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो, तो हमारे देश की अधिकाधिक समस्याएँ स्वयं हल हो जायेंगी। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ-साथ समाज के सम्पूर्ण ढांचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। विभिन्न विचारक ग्रामीण विकास को अपने-अपने ढंग व दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं।

विश्व बैंक के ग्रामीण विकास क्षेत्र नीतिपत्र, 1975 के अनुसार, ''ग्रामीण विकास, ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के सुधारने हेतु बनाई गई व्यूह रचना है, जिसके अन्तर्गत छोटे कृषकों, काश्तकारों एवं भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है। जी. पार्थसारथी के शब्दों में, ''ग्रामीण विकास से आशय गरीबों के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से उनके जीवन स्तर में सुधार करने से है। इसके लिए पूँजी एवं तकनीक का अच्छा उपयोग एवं गरीबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

ग्रामीण विकास बनाम शहरीकरण

ग्रामीण विकास से विभिन्न पहलुओं पर जब विचार किया जाता है तो यह भी प्रश्न उठता है कि गाँवों को शहरों जैसा बना दिया जाए तो गाँवों का वांछित विकास हो जाएगा? यानि पक्की सड़कें, बिजली, पानी की आपूर्ति, मनोरंजन के विभिन्न साधन, पक्के मकान, पश्चिमी तर्ज पर बड़े-बड़े बाजार यानि मॉल्स, सिनेमाघर इत्यादि। ग्रामीण विकास का अर्थ शहरीकरण कतई नहीं है।

ग्रामीण समुदाय की अपनी प्राकृतिक आवश्यकताएँ हैं। प्रकृति के निकट रहने तथा भूमि से इसके सम्बन्ध होने के कारण अधिकांश ग्रामीण कृषि और तत्सम्बन्धी रोजगारों से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। उनमें क्षेत्रीय होने की प्रवृत्ति होती है उनमें अलगाववाद पाया जाता है। परिवार उत्पादन की इकाई होता है जो अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ उत्पन्न करता है और जो वस्तुएँ उत्पादन नहीं कर पाता वह उसी गाँव अथवा पड़ोसी गाँव द्वारा उत्पन्न की जाती है। ग्रामीण समाज के कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे - जीवन तथा संस्कार की सरलता, परम्परागत लोकशैली आदि उत्पन्न हो जाती है जो शहरी समाज से बिल्कुल भिन्न होते है। गाँवों के जातिगत व्यवसाय होते हैं जो परम्परा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते जाते हैं।

वस्तुतः शहरीकरण ग्रामीण विकास का पर्याय नहीं है। गाँवों की मौलिकता, परम्परा व संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार

ISSN 2277-5587

के लिए बेहतर परिस्थितियाँ बनाना आवश्यक है। इस अर्थ में ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएँ बनायी जाएँ और उनके लिए जो कार्यक्रम किए जाएँ वे शहरी विकास से भिन्न स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए।

विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई ग्रामीण विकास की परिभाषाएँ और विचारों का विश्लेषण करें तो ग्रामीण विकास के विभिन्न आयाम स्पष्ट होते हैं- सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं में कमी करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना ताकि लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में व्यापक जन सहभागिता, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक व्यवहार व दृष्टिकोण में सकारात्मक व समायानुकूल परिवर्तन लाना, ग्रामीणों को स्वावलम्बी एवं स्वरोजगार, शिक्षा की व्यवस्था तथा शिक्षा को ग्रामीण रोजगारोन्मुख बनाना, गाँवों में सभी सुविधाएँ व अवसर प्रदान करना ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके।

वर्तमान स्वरुप

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण जन चेतना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि इस व्यवस्था की अपनी कमियाँ व दुर्बलताएँ हैं फिर भी यह ग्रामीण जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इस व्यवस्था ने आधुनिकीकरण के लिए मार्ग खोला है। पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं में राजनीतिक और सामाजिक चेतना बढ़ी है गाँवों का जागरण राज्य और राष्ट्र की राजनीति पर एक दबाव समूह के रुप में प्रभाव डालने में सक्षम हुए हैं। गाँव के लोग अपने अधिकारों, उत्तरदायित्वों को समझने लगे हैं, जिससे उनमें एक नया आत्मविश्वास आया है। मेरे वर्तमान शोध अध्ययन के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम और सबल करने के लिए कुछ सुझाव भी दिये गये है।

ग्रामीण विकास का उद्देश्य

ग्रामीण विकास का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व है। ग्रामीण विकास कई दृष्टिकोण से आवश्यक है। कृषि की दृष्टि से देखें तो देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। कृषि विकास हेतु ग्रामीण विकास आवश्यक है। सहायक रोजगार जैसे- पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, ऊन उद्योग, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी आदि का विकास करके बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के इस पहलू पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण विकास से ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी दूर करके उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण विकास द्वारा शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि की जा सकती है।

ग्रामीण विकास का एक राजनीतिक पहलू भी है। ग्रामीण विकास से गाँवों के उदासीन लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी। जब राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ के नागरिक राजनीति में भी रुचि लेने लगते हैं और राजनीतिक परिपक्वता के लिए वातावरण तैयार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सत्ता के केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण विकास का महत्व स्वयं सिद्ध है।

पंचायती राज व्यवस्था में सुधार

पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अभी भी ग्रामीण विकास को मूर्त रुप देने में पूर्ण रुप से सफल नहीं है। अत: सुझाव है-

- केन्द्र और राज्य सरकार की भांति ग्राम पंचायत में भी कानून बनाने, क्रियान्वयन करने और न्याय के लिए स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता है। ग्राम विधायिका में चुने हुए सरपंच व पंच के साथ पूर्व जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जाति प्रमुख तथा गाँव के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल किया जाए। इस विधायिका के द्वारा बनाये हुए कानून का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाए तथा ग्राम न्यायालय द्वारा गाँव में उठे छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा किया जाए।
- पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनाई जानी चाहिए।
- कार्मिक दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए।
- तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति होनी चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रुप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। जिला परिषद को जिला सरकार व ग्राम पंचायत को ग्राम सरकार का रुप दिया जाए।
- ग्राम स्तर की विकास योजना एवं कार्यक्रम तैयार करने का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिए।
- पंचायतों द्वारा किये गए कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि लोगों में इन संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े तथा सहभागिता भी बढ़े।
- सांसदों व विधायकों की भांति जिला प्रमुख, समिति प्रधान और सरपंच को भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ राशि प्राप्त होनी चाहिए।

- सरपंच के साथ पंचों को भी कार्य विभाजन के अनुसार विकास कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए।

प्रशिक्षण और प्रबोधन

भावी भूमिका की सफलता के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्वों, अधिकारों और कर्त्तव्यों की पूरी जानकारी हो। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और प्रबोधन के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। कुछ सुझाव इस प्रकार है-

- पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए राज्य, क्षेत्र, जिला और ग्राम स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- जनप्रतिनिधियों के लिए 6 माह के भीतर ही प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए तथा प्रशिक्षण अलग-अलग विषयों पर केन्द्रित होने चाहिए।
- इन प्रशिक्षणों में ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी, वित्तीय प्रबंधन तथा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों व कर्त्तव्यों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- पंचायत अधिनियम व अन्य सम्बन्धित नियमों की जानकारी सहज और सरल रुप में दी जानी चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण समस्याओं के प्रति वास्तव में संवेदनशील बनाने के लिए मानवीय मूल्य आधारित जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- समय-समय पर शिविर और सम्मेलनों का आयोजन किया जाकर नवीनतम जानकारी दी जानी चाहिए। सम्मेलनों में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े सदस्यों को उनसे सम्बन्धित विशेष संवैधानिक और कानूनी जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक सुझाव

यदि ग्रामीण विकास के स्वप्न को साकार करना है तथा राजनीतिक चेतना और जन सहभागिता को सार्थक करना है तो ग्रामीण जनसमुदाय को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है-

- स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए उनको जाति और धर्म की संकुचित भावना से ऊपर उठना आवश्यक है। उन्हें अपने मन में यह भावना लानी चाहिए कि गाँव या क्षेत्र उनका अपना है जिसके विकास में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक योजनाओं के लिए उन्हें पहल करनी चाहिए। सरकार की भूमिका मार्गदर्शन, सहयोग और वित्तीय सहायता तक ही सीमित रहे तो बेहतर है।
- सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से धीरे-धीरे इनसे ग्रामवासियों को स्वयं को मुक्त करना होगा। दृष्टिकोण में व्यापकता लाए बिना आधुनिकता और विकास की ओर बढ़ना सहज नहीं है।
- महिलाओं की स्थिति समाज में सदैव दोयम दर्जे की रही है। कृषि में व परिवार में लगातार सहयोग के बावजूद उनके योगदान का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। उनके व्यक्तित्व और भूमिका को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। महिलाओं की सशक्त राजनीतिक भागीदारी तभी सम्भव हो सकती है जब सम्पूर्ण ग्रामीण जनसमुदाय के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आवे।
- समाज के पिछड़े वर्गो और जातियों में सदियों से हाशिये पर उपेक्षित जीवन जिया है, उनके प्रति मानवीय व्यवहार की आवश्यकता है। यदि विकास की प्रक्रिया को सम्पूर्ण जनसमुदाय की क्षमता व भागीदारी प्राप्त हो जाए तो निश्चित रुप से गति को तीव्र किया जा सकता है।
- महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों का विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में गहन प्रशिक्षण नियमित रुप से होना चाहिए।
- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यो को सुचारु रुप से क्रियान्वयन के लिए स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए।
- विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु स्थानीय विद्यालय, चिकित्सालय एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उपरोक्त सुझाव व्यापक हैं जिनका क्रियान्वयन एक दिन में एक साथ सम्भव नहीं है लेकिन लक्ष्य सामने हो और स्पष्ट हो तो मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाता है।

ISSN 2277-5587

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाडोलिया, एम. के., एप्रोचेज टू रुरल डवलपमेंट एण्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर, उद्धृत सी. एम. जैन एवं टी कंगन, फोर्टी ईयर्स ऑफ रुरल डवलपमेंट इन इण्डिया, प्रिंटवैल, जयपुर, 1993।
2. चौधरी, सी. एम., ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, शिवम् बुक हाउस (प्रा.) लि., जयपुर, 2002।
3. माथुर, पी. सी., रुरल डवलपमेंट इन इंडिया : द फर्स्ट फोर्टी इयर्स एण्ड बियोन्ड, उद्धृत सी. एम. जैन एवं टी. कंकन, पूर्वोक्त, पृ. 33।
4. नायक, एस. के., इम्पेरेटिवज ऑफ रुरल डवलपमेंट इन इंडिया, उद्धृत सी. एम. जैन एवं टी. कंगन, पृ. 14।
5. वर्ल्ड बैंक, रुरल डवलपमेंट सेक्टर पॉलिस पेपर, वाशिंगटन, 1975।
6. पार्थ सारथी, जी., कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकल बेस एण्ड कॉन्ट्राडिकशन उद्धृत सी. एम. चौधरी, पूर्वोक्त, पृ. 3।
7. सिंह, सूर्यभान, ग्रामीण विकास और पंचायत राज, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, नवम्बर, 2005, पृ. 29।
8. यादव, सुबेह सिंह, ग्रामीण विकास के नये क्षितिज, मानव पब्लिकेशन्स, प्रा. लिमिटेड, दिल्ली, 1994।